सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2019-2020)

14

सत्रहवीं लोक सभा

चौदहवां प्रतिवेदन

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(10.03.2020 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली.

मार्च, 2020/ फाल्गुन, 1941(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(iv)
प्रतिवेदन	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
अनुबंध	समिति की 04.03.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	07

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2019-2020)

श्री श्याम सिंह यादव - समापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री नारगनी भरत
4. ~~डॉ. ए. चेल्लाकुमार~~
5. ~~श्री पल्लब लोचन दास~~
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
4. श्रीमती रजनी भगत - समिति अधिकारी

16 अगस्त 2019 kk

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति के 24वें (16वीं लोक सभा) में ~~अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में यह~~ दूसरा ~~प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।~~

2. समिति ने 04.03.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

3. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों / सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली;

मार्च, 2020

फाल्गुन, 1941 (शक)

श्याम सिंह यादव
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति।

(6)

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा 24वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) जिसे 09.08.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की-गई-सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. 24वें प्रतिवेदन में निहित सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण परिशिष्ट में दिए गए हैं।

3. समिति ने अपने चौबीसवें प्रतिवेदन में वर्ष 2013-14 से 2016-2017 के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नई दिल्ली के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की और सिफारिश की कि आगामी वर्षों के लिए संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भविष्य में संबंधित लेखावर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर एक साथ सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

4. समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय ने उक्त प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यान्वयन के लिए प्रयास किया है।

समिति इस बात की भी सराहना करती है कि सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप उत्तरगामी वर्ष 2017-18 (वर्ष 2018-2019) के लिए संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर रख दिए गए हैं। समिति आशा करती है कि सरकार के समन्वित प्रयासों से भविष्य में भी उक्त संस्थान के दस्तावेजों के समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित होगा।

श्याम सिंह यादव
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

मार्च, 2020
फाल्गुन, 1941(शक)

परिशिष्ट

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में शामिल सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान

सिफारिश (पैरा सं. 20)

समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, नई दिल्ली, एक स्वायत्त संगठन अपनी स्थापना के समय से अर्थात वर्ष 2013 से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से निरंतर सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है । हालांकि, 2013-14 से 2016-17 के लिए एनआईएसई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को 07 महीने से 37 महीने की देरी से सभा पटल पर रखा गया। समिति को बताया गया था कि सांविधिक सेवा परीक्षकों की नियुक्ति, लेखाओं की लेखा परीक्षा, एनआईएसई की वित्त समिति सदी का आयोजना और वार्षिक प्रतिवेदनों का मुद्रण देरी के मुख्य कारण हैं। हालांकि, समिति ने मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह देखा कि उपरोक्त वर्षों के लिए एनआईएसई के वार्षिक लेखाओं के संकलन में विलंब भी देरी के कारणों में से एक था। वार्षिक खातों के संकलन के चरण में इस संबंध में समिति द्वारा सुझाए गए 03 महीने के स्थान पर एनआईएसई से प्रत्येक वर्ष 2013-14, 2014- 15 और 2016-17 के लिए 06 महीने का समय लिया और वर्ष 2015-16 के लिए 07 महीने का समय लिया। समिति को सूचित किया गया था कि एनआईएसई ने लेखाओं के लेखांकन की प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया है। प्रक्रिया पर ध्यान देने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी नियुक्त किया गया है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के अलावा, वार्षिक लेखाओं के संकलन के दौरान लिया गया समय, सीमा के भीतर लाया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय से राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर रखने के लिए कदम उठाए । उत्तरवर्ती वर्ष 2017-18 की वार्षिक प्रतिवेदन दोनों सदनों के पटल पर दिनांक 27.12.2018 (लोक सभा) तथा दिनांक 08.01.2019 (राज्य सभा) को रखी गई। उल्लेखनीय है कि नाइस ने 2017-18 के वार्षिक लेखाओं के संकलन में 02 माह एवं 17 दिनों का समय लिया, वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं के कागजातों के अनुमोदन में 02 माह एवं 13 दिनों का समय लिया तथा वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कागजातों के मुद्रण में 15 दिनों का समय लिया। समिति की सिफारिश को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा नाइस के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर रखने के लिए ठोस प्रयास किया जाएगा।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. 354/4/2017-एनएसएम, दिनांक 09 अगस्त, 2019)

(सिफारिश पैरा सं.21)

हालांकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया कि दस्तावेजों की मंजूरी मिलने में कोई समस्या नहीं थी, एनआईएसई ने वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः 30 $^{1}/_{2}$ महीने, 20 महीने, 7$^{1}/_{2}$ महीने और 5 महीने का समय लिया। समिति को इस तरह की चूक के लिए कोई औचित्य नहीं मिला है। दस्तावेजों को समय से अंतिम रूप देने के लिए एनआईएसई/एमएनआरई को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर रखने के लिए उचित कदम उठाए हैं। यह सूचित किया जाता है कि उतरवर्ती वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन दोनों ही सदनों के पटल पर दिनांक 27.12.2018 (लोक सभा) तथा 08.01.2019 (राज्य सभा) को रखी गई थी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस) के पिछली वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को रखने में हुए अत्यधिक विलंब का कारण मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर था। समिति की सिफ़ारिशों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. 354/4/2017-एनएसएम, दिनांक 09 अगस्त, 2019)

<u>सिफारिश पैरा सं.22</u>

एनआईएसई के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में देरी का एक अन्य कारण प्रिंटिंग एजेंसियों से दस्तावेजों की प्रिंटिंग प्रतियाँ प्राप्त करना माना गया। सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को मंजूरी मिलने के बाद, एनआईएसई ने वर्ष 2013-14 के एनआईएसई के दस्तावेजों का अनुवाद और मुद्रण कराने के लिए 04 महीने का समय लिया. हालांकि मंत्रालय/ एनआईएसई ने सूचित किया कि उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन के अनुवाद कार्यों के लिए दो साल के लिए एक अनुवाद एजेंसी की सेवाएं ली और वार्षिक प्रतिवेदन के डिजाइन और प्रिंटिंग के लिए एक एजेंसी की भी सेवाएं ली। साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि एनआईएसई को भविष्य में एनआईएसई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर रखने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय दवारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और आश्वासन दिया कि वर्ष 2017-18 के लिए नाइस के दस्तावेज 31 दिसम्बर, 2018 तक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे। समिति आशा करती है कि जैसा मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासन दिया गया है, इन कदमों को सही तरीके से लिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में एनआईएसई की तरफ से कोई अपरिहार्य विलंब न हो। समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में तैयार वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथियों को इंगित करने

वाली समय सारिणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनआईएसई के दस्तावेज भविष्य में समय पर सभा पटल पर रखे जाएं।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने उत्तरवर्ती वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया है, जिसके लिए एमएनआरई के नियंत्रणाधीन नाइस के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए दिनांक 20.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 354/16/2018-एनएसएम के तहत लोक सभा और राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। समिति की उन सिफारिशों का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन समय पर भेजा गया था कि इस संबंध में तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करने के लिए लक्षित तिथियों से संबंधित समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समिति को यह भी आश्वासन दिया जाता है कि वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर रखने के लिए समिति की सिफारिशों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. 354/4/2017-एनएसएम, दिनांक 09 अगस्त, 2019)

सिफारिश पैरा सं. 23

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि यदि किसी भी कारण से एनआईएसई के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखा को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका हो, तो संबंधित मंत्रालय को निर्धारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर एक विवरण रखना चाहिए जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवेदन और लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों के बारे में बताया गया हो।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए उत्तरवर्ती वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया । समिति को यह भी आश्वासन दिया जाता है कि वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर रखने के लिए समिति की सिफारिशों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. 354/4/2017-एनएसएम, दिनांक 09 अगस्त, 2019)

अनुबंध

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-20) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, बुधवार, 04 मार्च, 2020 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली केसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनिश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

X X X X X

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), नई दिल्ली;
(2) एसईजेड-फाल्टा, कोलकाता, एसईईपीजेड, मुंबई और नोयडा;
(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), नई दिल्ली;
(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली;
(5) विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ);
(7) पांच क्षेत्रीय सांस्कृति केन्द्र अर्थात दक्षिण क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एसजेडसीसी), तंजावुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एससीजेडसीसी), नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनसीजेडसीसी), इलाहाबाद और उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृति केन्द्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर;
(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन आठ प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनोंपर विचार करने के लिए लिया।

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी), नई दिल्ली;
(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली;
(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी;
(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
(5) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली;
(6) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), नई दिल्ली;

(7) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय (सीसीपीडी), नई दिल्ली;
(8) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली;
(9) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके), नई दिल्ली;
(10) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय;
(11) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम;
(12) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), नई दिल्ली;
(13) एम्स (भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश);
(14) सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटीक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली; तथा
(15) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान (नाईपर), मोहाली।

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन पंद्रह प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. समिति ने इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-16. X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।